फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत ..... सिकराय .....

..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... मु० नं० .....

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	[illegible]	
	5/11/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी की तलबी की जाकर पत्रावली दि. 06/12/19 को पेश हो। [illegible]	
	[illegible]	
	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अपील पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया बहस का मनन किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 पत्थर गढ़ी स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 पत्थर गढ़ी स्वीकार किया जाता है। एवं तहसीलदार सिकराय को 1500 रु किस पर मौका कमिश्नर घोषित किया जाता है। एवं निर्देश दिये जाते है कि राजस्व कर्मचारीयों की टिम गठित कर पत्थर गढ़ी करने के आदेश दिये जाते है, पत्रावली फैसल शुमार की कर नम्बर से कम की। 8/1/2020	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Date: 2020.01.16 16:11:20 IST
Reason: SelfAttested